



पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक -12/नि०प०ग० (पशु क्रूरता) 05/2019 दिनांक - 2020

प्रेषक,

डॉ० संजय कुमार सिन्हा,
संयुक्त निदेशक (मु०)।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी, बिहार।

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी-सह-सचिव, जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी, बिहार।

विषय :- बिहार में मुर्गीपालन व्यवसायिकों द्वारा अवांक्षित चूजों को मारने के क्रूर एवं अवैध तरीकों पर प्रतिबंध लगाने एवं AWBI तथा अन्य निकायों द्वारा निर्धारित विधि को कार्यान्वयित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के मुर्गीपालकों को अवांक्षित चूजों को मारने के क्रूर एवं अवैध तरीकों पर प्रतिबंध लगाने हेतु निम्न कदम उठाने की आवश्यकता है:-

(i) राज्य में फोल्डरी (हैचरी) उद्योग द्वारा अवांक्षित चूजों को मारने के सभी अवैध एवं क्रूर तरीकों को प्रतिबंधित किया जाए एवं अवांक्षित नर चूजों को इच्छामृत्यु देने के लिए नाइट्रोजन एवं इनर्ट गैस का उपयोग करने की विधि अपनाई जाए।

(ii) एक दिन के नर चूजों को मारने की प्रथा पर रोक लगायें एवं व्यवसायिक रूप से उपलब्ध होने के बाद तत्काल रूप से OVO सेक्स निर्धारण तरीकों को अपनाने हेतु निदेशित किया जाए।

अतः उपरोक्त वर्णित विधि का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए एवं अनचाहे चूजों को मारने में AWBI, एवं LCI एवं OIE द्वारा अनुसंशित विधि का उपयोग कराया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० संजय कुमार सिन्हा)

संयुक्त निदेशक (मु०)।

ज्ञापांक-12/नि०प०ग० (पशु क्रूरता) 05/2019/पटना-15, दिनांक-30/05/2020

प्रतिलिपि :- डॉ० मणिलाल वलियात, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, PETA, F-110, 1st Floor, Jagdamba A Tower, Plot No.-13, Community Centre, Preet Vihar, New Delhi -110092 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विभागीय सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/2020
संयुक्त निदेशक (मु०)।